महत्वपूर्ण

संख्या–1109 / 37–2 / 16–30(7) / 14

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 17 मई, 2016

विषयः–पशुचिकित्सालय एवं पशुचिकित्सा पाली क्लीनिकों के निर्माण के अन्तर्गत अनुश्रवण / भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासन द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति के अनुक्रम में पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुचिकित्सालय, पशु सेवा केन्द्र एवं पशुचिकित्सा पाली क्लीनिकों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसी वित्तीय वर्ष में पशु रोग निदान प्रयोगशालाओं का निर्माण प्रदेश के कई जिलों में कराया जायेगा। इन संस्थाओं के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में आपका सक्रिय सहयोग, कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व आवश्यक है। उक्त संथाओं के निर्माण हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति के अनुक्रम में पशुपालन विभाग हेतु अपने जनपद में निम्नानुसार तकनीकी समिति का गठन कराते हुए प्रश्नगत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता में गति प्रदान करने में अपना विशिष्ट सहयोग प्रदान कर निर्माण कार्यो की समीक्षा करें :–

क्रम सं0	पशुचिकित्सा संस्थान	तकनीकी समिति
1	पशुचिकित्सालय / पशु सेवा केन्द्र / डिजीज डाइग्नोस्टिक लैब / पशु रोग निदान प्रयोगशाला	1– मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी
		2– ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अधिशासी अभियन्ता अथवा उनके द्वारा नामित अभियन्ता, जो सहायक अभियन्ता स्तर का हो।
		3– लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता अथवा उनके द्वारा नामित अभियन्ता, जो सहायक अभियन्ता स्तर का हो।
2	पशुचिकित्सा पाली क्लीनिक	1– मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी
		2– ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अधिशासी अभियन्ता
		3– लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता

m. 41.m

----2/-

2– उक्त समिति द्वारा निर्माणाधीन पशुचिकित्सा संस्थाओं की गुणवत्ता की सामान्य तकनीकी जांच/अनुश्रवण, निर्माण के निम्न प्रस्तावित स्तरों पर अपनी गुणवत्ता सम्बन्धी अनुश्रवण रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से पशुपालन निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जायेगी :–

(अ) प्लिन्थ स्तर
(ब) लिण्टल स्तर
(स) भवन हस्तान्तरण के समय

3– अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार तकनीकी समिति के गठन के परिपेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। साथ ही जनपद के क्षेत्रीय भ्रमण के समय तकनीकी समिति द्वारा इन पशुचिकित्सा संस्थाओं के निर्माण की गुणवत्ता विषयक आवश्यक अनुश्रवण रिपोर्ट की पुष्टि भी कर लें।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या–1109(1)/37–2/16–30(7)/14, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक–81/सा0–1/एक्स–86/निर्माण समीक्षा/ 2016–17, दिनांक 03 मई, 2016 के कम में इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
3– निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, लखनऊ ।
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ ।
5– संयुक्त सचिव/उप सचिव, पशुधन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6– समस्त अनुभाग, पशुधन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
7– गार्ड फाइल !

18-05-2016

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

---- 3/-

कार्यालयः निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 153 /सा0-1/एक्स-86/निर्माण समीक्षा/2016-17, दिनांक : 26 मई,2016

कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, महोदय द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 1109/37-2/16-30(7)/14, दिनांक 17 मई, 2016 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित कर प्रेषितः-

1- समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

3- संयुक्त सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासनादेश संख्याः 1109/37-2/16-30(7)/14, दिनांक 17 मई, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।